No. 1/20/2011-P&PW (E) Government of India Ministry of Personnel, P.G. & Pensions Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi Dated: 28th January, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Revision of PPO of pre-2006 pensioners/family pensioners – (i) even if age/date of birth of spouse is not available, (ii) model advertisement for use by Ministries/Departments – regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even number, dated 16.12.2011, 2.11.2012 and 14.11.2012 and OM No. 1/23/2012-P&PW(E), dated 13.09.2012 and 27.09.2012 on an extremely important issue, i.e. revision of the Pension Payment Order (PPOs) of pensioners/family pensioners who retired/died before 2006. The revision has to be done on priority because the pensioners are suffering harassment due to non-revision of their PPOs.

- 2. A number of initiatives were taken in the last quarter of 2012 such as allowing change in date of birth of spouse, use of certain documents for revision of PPOs, inclusion of present postal address and mobile and telephone number in the life certificate and use of e-scroll for extracting information from banks' database. In order to further streamline the process, it has been decided to allow revision of PPOs even in those cases where date of birth/age of spouse is not given in the PPO or this information is not available in the office records. Such PPOs may be revised again when age/date of birth becomes available. It has also decided that only live cases in which pension/family pension is being disbursed will be included in the pendency statement of the Central Pension Accounting Office (CPAO) and for this purpose escroll alone will be relied upon by the CPAO.
- 3. A copy of the advertisement previously circulated to all Ministries/Departments vide this Department's OM of even number, dated 16.12.2011 for use by them for eliciting information from pensioners/family pensioners is enclosed. It is requested that the advertisement may be posted on the website and if desired get it published in the leading News Papers.

(Sujasha Choudhury)

Deputy Secretary

All Ministries/Departments of the Govt. of India.

Copy to CPAO, Trikoot-II, Bhikaji Kama Place, New Delhi-66. (not in original) (The Chief Controller (Pensions) may take a meeting with the banks. The deliberations of this meeting may be put up to the Secretary (Pension) for taking a decision regarding holding a meeting with the banks.)

(Sujasha Choudhury)
Deputy Secretary

2 8 JAN 2013 JIP

No.1/20/2011-P&PW(E) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension Department of Pension & Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi, the 16th December, 2011.

Office Memorandum

Sub: Revision of PPOs of pre-2006 family pensioners – meeting chaired by Secretary (Pension) on 3/11/11 – a model advertisement – regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even number, dated 15th November and 22nd November, 2011 circulating the minutes of the meeting concerning revision of Pension Payment Orders (PPOs) in respect of pre-2006 Pensioners, which was chaired by Secretary (Pension) on 3/11/11. It was decided, vide para 9 of the minutes, that the Department of Pension and PW would bring out a model advertisement spelling out the utility of the revision of PPO to the individual pensioner/family pensioner, which may be used by administrative Ministries/ Departments for eliciting responses from the pensioners/family pensioners belonging to them. It was also agreed that the advertisement shall also be posted on the web-site of respective Ministry/Department.

2. In pursuance of the minutes as indicated above, a copy each of Hindi and English versions of the model advertisement is enclosed. It is requested that the administrative Ministries/ Departments may consider publishing the advertisement in the leading newspapers in English and Indian languages so that maximum number of pensioners/family pensioners come to know about the benefits of getting their PPOs revised. It may also be ensured that the text of the advertisement is posted on the web-site of the Ministry/Department concerned.

Ph: 24624752

Ministries/Departments of the Government of India as per list enclosed on the India as per list enclosed on the India as per list enclosed on the India as per list enclosed o

DEC 2011

चारी किया/ISSUED

स्रताधार∕Sig.

आदर्श विज्ञापन

भारत सरकार/संघ शासित ध मंत्रालय	तेत्रकी सरकार		
विभाग	•		
ध्यानार्कषण:मंत्रालय/विभाग के पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी			
चुकी है तथा छठं केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशासाओं के है । यह नोटिस किया गया है कि कुछ मामलों में सरव	•		
जारी किए गए पैशन कागजात प्राप्त करें, क्योंकि संशोधि पैशन में कोई गलती नहीं हैं, (ख) ये 80/85/90/95/1 पैशन प्राप्त करेगें, (ग) जब भी भविष्य में पैशन पुनः संव कोई समस्या न हो, (घ) पैशनभोगी की मृत्यु के पश्चात्, तो पात्र कुटुम्ब पैशनभोगी, को बिना किसी विलम्ब या बनाने के लिए, ऐसे 2006 से पूर्व के पैशनभोगी/कुटुम्ब	हत में है कि ऐसे पंशनभोगी/कुटुम्ब पंशनभोगी, संशोधित देत कागजात सुनिधित करेंगें कि (क) बैंक द्वारा संशोधित 00 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पंशन/कुटुम्ब शोधित होती है, संशोधित राशि का परिकलन करने में उन्हें अविवाहित/तलाकशुदा/विध्या पुत्रियों सहित यदि कोई हो, उत्पीड़न के कुटुम्ब पंशन मिले । उक्त को सुविधाजनक पंशनभोगी जिन्होनें अपने जारी संशोधित पंशन कागजात यथाशीघ निम्नलिखित सूचना प्रदान करने का		
सेवा में,			
कार्यालयाध्यक्ष,	ज पता न हो तो, इसे यरिष्ठ लेखा अधिकारी, विशेष ् कक्ष,		
सी.पी.ए.ओ., त्रिकुट-॥, आर.के. पुरम, नई दिल्ली को भेज			
विषय:- 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशन भो	•		
 पंशनभोगी का नाम जन्मतिथि सेवानिवृति की तारीख पंशनभोगी की मृत्यु की तारीख (यदि आवेदन कुटुम्ब पंशनभोगी द्वारा किया गर 	:		
	•		

12

 पी.पी.ओ. संख्या वर्तमान पता (पिन कोड सहित) वर्ष पंशनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी का फोन नंबर एवं ई-मेल आई.डी. वर्ष एवं शाखा का नाम शाखा का डाक पता (पिन कोड सहित) एकाऊंट नंबर उस कार्यालय का ब्यौरा जहां कर्मचारी/पॅशनभोगी ते सबसे अन्त में कार्य किसी कुटुम्ब पॅशनभोगी का नाम, जो पी.पी.ओ. साक्षय के लिए पी.पी.ओ. के संगत पृष्ठ संलग्न की जानी चाहिए, अन्य (क) जीवन साथी कुटुम्ब पॅशनभोगी का नाम ख) जन्मतिथि (सबूत संलग्न किया जाए) (ग) सब्त के लिए संलग्न दस्तावेजों का नाम पहले से न दिए गए कुटुम्ब सदस्यों का नाम एवं जन्मतिथि य कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रदान करना चाहता है उन्हें नीचे दिया जा सक दिनांक: स्थान: 	ओ. में सहभागी है (जन्मतिथि के अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें) यदि पेंशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी के हस्त ब पेंशनभोगी की जन्मतिथि नहीं वे	ओ. संख्या न पता	:
 वर्तमान पता	ओ. में सहभागी है (जन्मतिथि के अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें) यदि पॅशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी के हस्त ब पॅशनभोगी की जन्मतिथि नहीं वे	न पता	:
(पिन कोड सहित) 8. पेशनभोगी/कुटुम्ब पेशनभोगी का फोन नंबर एवं ई-मेल आई.डी. 9. बैंक एवं शाखा का नाम :	ओ. में सहभागी है (जन्मतिथि के अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें) यदि पेंशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी के हस्त ब पेंशनभोगी की जन्मतिथि नहीं वे		
 वैश्वनमंगी/कुटुम्ब पेंशनमंगी का फोन नंबर एवं ई-मेल आई.डी. वैंक एवं शाखा का नाम :	ओ. में सहभागी है (जन्मतिथि के अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें) यदि पेंशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी के हस्त ब पेंशनभोगी की जन्मतिथि नहीं वे	कोड सहित)	1
फोन नंबर एवं ई-मेल आई.डी. 9. बैंक एवं शाखा का नाम 10. शाखा का डाक पता (पिन कोड सिंत) 11. एकाऊंट नंबर 12. उस कार्यालय का ब्यौरा जहां कर्मचारी/पेंशनमोगी ने सबसे अन्त में कार्य किया है 13. जीवन साथी या अन्य किसी कुटुम्ब पेंशनमोगी का नाम, जो पी.पी.ओ. साक्षय के लिए पी.पी.ओ. के संगत पृष्ठ संलग्न की जानी चाहिए, अन्य (क) जीवन साथी कुटुम्ब पेंशनमोगी का नाम (ख) जन्मतिथि (सबूत संलग्न किया जाए) (ग) सबूत के लिए संलग्न दस्तायेजों का नाम 14. पहले से न दिए गए कुटुम्ब सदस्यों का नाम एवं जन्मतिथि य कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रदान करना चाहता है उन्हें नीचे दिया जा सक दिनांक : (पेंशनम टिप्पणी:- बदि पी.पी.ओ. की प्रति उपसम्य न हो या जीवन साथी या कुटुम्ब पें हो, जीवन साथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के सहयोग में निम्न अनुप्रमाणित छाया प्रति पस्तुत की जा सकती है: (क) पैन कार्ड (ख) मैट्रिक प्रमाणपत्र (जन्मतिथि की सूचना के संबंध में) (ग) पासपोर्ट (प) सी.जी.एच.एस. कार्ड (इ) डाईविंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पेंशनमोगी/कुटुम्ब पेंशनमोगी प्रमाणित करें कि यह दसवीं पास नहीं है तथा पेंशनमोगी/कुटुम्ब पेंशनमोगी प्रमाणित करें कि यह दसवीं पास नहीं है तथा	ओ. में सहभागी है (जन्मतिथि के अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें) यदि पेंशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी के हस्त ब पेंशनभोगी की जन्मतिथि नहीं वे		•
 बैंक एवं शाखा का नाम शाखा का डाक पता (पिन कोड सहित) एकाऊंट नंबर उस कार्यालय का व्यौरा जहां कर्मचारी/पेंशनभोगी तसबसे अन्त में कार्य किया है जीवन साथी या अन्य किसी कुटुम्य पेंशनभोगी का नाम, जो पी.पी.ओ. साक्षय के लिए पी.पी.ओ. के संगत पृष्ठ संलग्न की जानी चाहिए, अन्य	ओ. में सहभागी है (जन्मतिथि के अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें) यदि पॅशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी के हस्त ब पॅशनभोगी की जन्मतिथि नहीं व	गोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी का :	
 10. शाखा का डाक पता (पिन कोड सहित) 11. एकाऊंट नंबर 12. उस कार्यालय का व्यौरा जहां कर्मचारी/पॅशनभोगी ते सबसे अन्त में कार्य किया है 13. जीवन साथी या अन्य किसी कुटुम्ब पॅशनभोगी का नाम, जो पी.पी.ओ. साक्षय के लिए पी.पी.ओ. के संगत पृष्ठ संलग्न की जानी चाहिए, अन्य (क) जीवन साथी कुटुम्ब पॅशनभोगी का नाम (ख) जन्मतिथि (सबूत संलग्न दस्तावेजों का नाम (ख) जन्मतिथि (सबूत संलग्न दस्तावेजों का नाम पर्व जन्मतिथि य कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रदान करना चाहता है उन्हें नीचे दिया जा सक दिनांक: (पॅशना टिप्पणी:- बदि पी.पी.ओ. की प्रति उपलब्ध न हो या जीवन साथी या कुटुम्ब पेशनमितिथ के सहयोग में निम्न अनुप्रमाणित छावा प्रति प्रस्तुत की जा सकती है: (क) पैन कार्ड (ख) मेंट्रिक प्रमाणपत्र (जन्मतिथि की सूचना के संबंध में) (ग) पासपोर्ट (ध) सी.जी.एच.एस. कार्ड (ड) डाईविंग लाईसेंस (यदि इसमें जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पॅशनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी प्रमाणित करें कि यह दसवीं पास नहीं है तथा पॅशनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी प्रमाणित करें कि यह दसवीं पास नहीं है तथा 	ओ. में सहभागी है (जन्मतिथि के अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें) यदि पॅशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी के हस्त ब पॅशनभोगी की जन्मतिथि नहीं व	नंबर एवं ई-मेल आई.डी.	
 11. एकाउंट नंबर 12. उस कार्यालय का ब्यौरा जहां कर्मचारी/पॅशनभोगी :	ओ. में सहभागी है (जन्मतिथि के अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें) यदि पॅशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी के हस्त ब पॅशनभोगी की जन्मतिथि नहीं व	वं शाखा का नाम	:
12. उस कार्यालय का ब्यौरा जहां कर्मचारी/पंशनभोगी :	ओ. में सहभागी है (जन्मतिथि के अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें) यदि पेंशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी के हस्त ब पेंशनभोगी की जन्मतिथि नहीं वे	का डाक पता (पिन कोड सहित)	:
ते सबसे अन्त में कार्य किया है 13. जीवन साथी या अन्य किसी कुटुम्ब पॅशनभोगी का नाम, जो पी.पी.ओ. साक्षय के लिए पी.पी.ओ. के संगत पृष्ठ संलग्न की जानी चाहिए, अन्य (क) जीवन साथी कुटुम्ब पॅशनभोगी का नाम :	ओ. में सहभागी है (जन्मतिथि के अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें) यदि पॅशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी के हस्त ब पॅशनभोगी की जन्मतिथि नहीं व	ट नंबर	:
13. जीवन साथी या अन्य किसी कुटुम्ब पंशनभोगी का नाम, जो पी.पी.ओ. साक्षय के लिए पी.पी.ओ. के संगत पृष्ठ संलग्न की जानी चाहिए, अन्य (क) जीवन साथी कुटुम्ब पंशनभोगी का नाम :	अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें) यदि पॅशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी के हस्त	nर्यालय का ब्यौरा जहां कर्मचारी/पॅशनभोगी -	:
साक्षय के लिए पी.पी.ओ. के संगत पृष्ठ संलग्न की जानी चाहिए, अन्य (क) जीवन साथी कुटुम्ब पेंशनभोगी का नाम :	अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें) यदि पॅशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी के हस्त	ासे अन्त में कार्य किया है	
(क) जीवन साथी कुटुम्ब पॅशनभोगी का नाम (ख) जन्मतिथि (सब्त संलग्न किया जाए) (ग) सब्त के लिए संलग्न दस्तायेजों का नाम 14. पहले से न दिए गए कुटुम्ब सदस्यों का नाम एयं जन्मतिथि य कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रदान करना चाहता है उन्हें नीचे दिया जा सक दिनांक : स्थान : (पॅशनब्दि पी.पी.ओ. की प्रति उपलब्ध न हो या जीवन साथी या कुटुम्ब पें हो, जीवन साथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के सहयोग में निम्न अनुप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती है: (क) पँन कार्ड (ख) मेंट्रिक प्रमाणपत्र (जन्मतिथि की सूचना के संबंध में) (ग) पासपोर्ट (घ) सी.जी.एच.एस. कार्ड (ङ) डाईविंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पंशनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी प्रमाणित करें कि यह दसवीं पास नहीं है तथा	यदि पॅशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी के हस्त ब पॅशनभोगी की जन्मतियि नहीं वे	। साथी या अन्य किसी कुटुम्ब पॅशनमोगी का	नाम, जो पौ.पौ.ओ. में सहभागी है (जन्मतिथि के
(ख) जन्मतिथि (सबूत संसरन किया जाए) (ग) सबूत के लिए संलरन दस्तावेजों का नाम 14. पहले से न दिए गए कुटुम्ब सदस्यों का नाम एवं जन्मितिथे य कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रदान करना चाहता है उन्हें नीचे दिया जा सक दिनांक : स्थान : (पंशनक हिप्पणी:- बदि पौ.पौ.ओं. की प्रति उपसब्ध न हो वा जीवन साथी या कुटुम्ब पें हो, जीवन साथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के सहयोग में निम्न अनुप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती है: (क) पैन कार्ड (ख) मेट्रिक प्रमाणपत्र (जन्मितिथि की सूचना के संबंध में) (ग) पासपोर्ट (घ) सी.जी.एच.एस. कार्ड (ङ) डाईविंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मितिथि हो) (च) योटर कार्ड/आधार नंबर को जन्मितिथि के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पंशनभोगी/कुटुम्ब पंशनभोगी प्रमाणित करें कि वह दसवीं पास नहीं है तथा	यदि पॅशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी के हस्त ब पॅशनभोगी की जन्मतियि नहीं वे	र के लिए पी.पी.ओ. के संगत पृष्ठ संलग्न की	ं जानी चाहिए, अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें)
(ग) सब्त के लिए संलग्न दस्तावेजों का नाम :	यदि पॅशनभोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी के हस्त ब पॅशनभोगी की जन्मतियि नहीं वे	। साथी कुटुम्ब पॅशनभोगी का नाम	:
14. पहले से न दिए गए कुटुम्य सदस्यों का नाम एवं जन्मतियि य कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रदान करना चाहता है उन्हें नीचे दिया जा सक दिनांक :	यदि पॅशनमोगी जीवनसायी उन्हें सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पॅशनमोगी के हस्त ब पॅशनमोगी की जन्मतियि नहीं वी	तियि (सबूत संलग्न किया जाए)	:
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रदान करना चाहता है उन्हें नीचे दिया जा सक दिनांक :	सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी के हस्त ब पॅशनभोगी की जन्मतियि नहीं वं	के लिए संलग्न दस्तावेजों का नाम	:
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रदान करना चाहता है उन्हें नीचे दिया जा सक दिनांक :	सकता है शनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी के हस्त ब पॅशनभोगी की जन्मतियि नहीं वं	<u> </u>	यां ज्यानिक स्ट गॅंकानकोसी जीवजाकी उर्जे
टिप्पणी:- यदि पी.पी.ओ. की प्रति उपसब्ध न हो या जीवन साथी या कुटुम्ब पें हो, जीवन साथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के सहयोग में निम्न अनुप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती है: (क) पैन कार्ड (ख) मैट्रिक प्रमाणपत्र (जन्मतिथि की स्चना के संबंध में) (ग) पासपोर्ट (छ) सी.जी.एच.एस. कार्ड (ङ) डाईविंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मतिथि हो) (च) वोटर कार्ड/आधार नंबर को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पेंशनमोगी/कुटुम्ब पेंशनमोगी प्रमाणित करें कि यह दसवीं पास नहीं है तथा	ब पॅशनभोगी की जन्मतिथि नहीं वं	••••••	
हो, जीवन साथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतियि के सहयोग में निम्न अनुप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती है: (क) पैन कार्ड (ख) मैट्रिक प्रमाणपत्र (जन्मतियि की सूचना के संबंध में) (ग) पासपोर्ट (घ) सी.जी.एच.एस. कार्ड (ड) डाईविंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मतियि हो) (च) वोटर कार्ड/आधार नंबर को जन्मतियि के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पंशनभोगी/कुटुम्ब पंशनभोगी प्रमाणित करें कि वह दसवीं पास नहीं है तथा			(पॅशनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी के हस्ताव
हो, जीवन साथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतियि के सहयोग में निम्न अनुप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती है: (क) पैन कार्ड (ख) मैट्रिक प्रमाणपत्र (जन्मतियि की सूचना के संबंध में) (ग) पासपोर्ट (घ) सी.जी.एच.एस. कार्ड (ड) डाईविंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मतियि हो) (च) वोटर कार्ड/आधार नंबर को जन्मतियि के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पंशनभोगी/कुटुम्ब पंशनभोगी प्रमाणित करें कि वह दसवीं पास नहीं है तथा			र साथी या कटम्ब पॅशनभोगी की जन्मतिथि नहीं की
अनुप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती है: (क) पैन कार्ड (ख) मैट्रिक प्रमाणपत्र (जन्मितिय की सूचना के संबंध में) (ग) पासपोर्ट (घ) सी.जी.एच.एस. कार्ड (ङ) डाईविंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मितिय हो) (च) वोटर कार्ड/आधार नंबर को जन्मितिय के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पंशनमोगी/कुटुम्ब पंशनमोगी प्रमाणित करें कि वह दसवीं पास नहीं है तथा		र की की की पति उपसब्ध न हो या जीवन	
(ख) मैट्रिक प्रमाणपत्र (जन्मितिय की स्चना के संबंध में) (ग) पासपोर्ट (घ) सी.जी.एच.एस. कार्ड (ङ) डाईविंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मितिय हो) (च) वोटर कार्ड/आधार नंबर को जन्मितिय के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पंशनभोगी/कुटुम्ब पंशनभोगी प्रमाणित करें कि वह दसवीं पास नहीं है तथा			
(ख) मैट्रिक प्रमाणपत्र (जन्मितिय की स्चना के संबंध में) (ग) पासपोर्ट (घ) सी.जी.एच.एस. कार्ड (ङ) डाईविंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मितिय हो) (च) वोटर कार्ड/आधार नंबर को जन्मितिय के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पंशनभोगी/कुटुम्ब पंशनभोगी प्रमाणित करें कि वह दसवीं पास नहीं है तथा		नाथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के	Albaha of localitication of the community
 (ग) पासपोर्ट (घ) सी.जी.एच.एस. कार्ड (ङ) डाईविंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मतिथि हो) (च) योटर कार्ड/आधार नंबर को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पॅशनभोगी/कुटुम्ब पॅशनभोगी प्रमाणित करें कि यह दसवीं पास नहीं है तथा 		ताथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती हैं:	THE THE PERSON NAMED IN COLUMN STATE OF THE PERSON STATE OF THE PE
(घ) सी.जी.एच.एस. कार्ड (ङ) डाईविंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मतिथि हो) (च) वोटर कार्ड/आधार नंबर को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पेशनभोगी/कुटुम्ब पेशनभोगी प्रमाणित करें कि वह दसवीं पास नहीं है तथा		ताथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती हैं: कार्ड	•
(ङ) डाईविंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मतिथि हो) (च) योटर काई/आधार नंबर को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी प्रमाणित करें कि यह दसवीं पास नहीं है तथा		तथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती है: कार्ड क प्रमाणपत्र (जन्मतिथि की सूचना के संबंध	•
(च) योटर कार्ड/आधार नंबर को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पेंशनमोगी/कुटुम्ब पेंशनमोगी प्रमाणित करें कि यह दसवीं पास नहीं है तथा		तथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती हैं: कार्ड क प्रमाणपत्र (जन्मतिथि की सूचना के संबंध पोर्ट	•
पॅशनभोगी/कुटुम्य पॅशनभोगी प्रमाणित करें कि वह दसवीं पास नहीं है तथा	शर्त पर स्यीकार किया जा सकता	ताथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती हैं: कार्ड क प्रमाणपत्र (जन्मतिथि की सूचना के संबंध पोर्ट गी.एच.एस. कार्ड	•
		तथीं/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती हैं: कार्ड के प्रमाणपत्र (जन्मतिथि की सूचना के संबंध पोर्ट जी.एच.एस. कार्ड वेंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मतिथि हो)	ਸੱ)
		तथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती हैं: कार्ड क प्रमाणपत्र (जन्मतिथि की सूचना के संबंध पोर्ट नी.एच.एस. कार्ड वेंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मतिथि हो) र कार्ड/आधार नंबर को जन्मतिथि के साक्ष्य	में) के रूप में इस शर्त पर स्यीकार किया जा सकता है
		तथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती हैं: काई क प्रमाणपत्र (जन्मतिथि की सूचना के संबंध पोर्ट नी.एच.एस. काई वेंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मतिथि हो) र काई/आधार नंबर को जन्मतिथि के साक्ष्य न्टुम्ब पंशनभोगी प्रमाणित करें कि यह दसवीं	में) के रूप में इस शर्त पर स्यीकार किया जा सकता है
	(अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक र	तथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती हैं: काई क प्रमाणपत्र (जन्मतिथि की सूचना के संबंध पोर्ट नी.एच.एस. काई वेंग लाईसँस (यदि इसमें जन्मतिथि हो) र काई/आधार नंबर को जन्मतिथि के साक्ष्य न्टुम्ब पंशनभोगी प्रमाणित करें कि यह दसवीं	में) के रूप में इस शर्त पर स्यीकार किया जा सकता है

Model advertisement No..... Government of India/ Government of the UT of Ministry of Department of ATTENTION: Pensioners/Family Pensioners of Ministry/Department of Pension/family pension of Pre-2006 Pensioners/Family Pensioners has already been revised and arrears have been paid in 2008 and 2009 as per the recommendations of the 6th Central Pay Commission. It is noticed that in some cases, fresh pension papers indicating revised amount of pension/family pension have not reached the pensioner/family pensioner so far, despite the efforts being made by the authorities concerned in the Government. Attention is invited that it is in their interest that such pensioners/family pensioners get the revised pension papers issued as the revised papers will ensure that a) there is no error in the pension revised by the Bank, b) they get the additional pension/family pension on attaining the age of 80/85/90/95/100 years of age on time, c) whenever pension is revised again in future, they do not face any problem in calculating the revised amount and d) after the death of the pensioner, the eligible family pensioner, including unmarried/divorced/widowed daughters, if any, in their family start getting family pension without any delay or harassment. In order to facilitate the above, such pre-2006 pensioners/family pensioners who have not got their revised pension papers (PPO) issued are requested to provide the following information to the as soon as possible. To The Head of Office, Ministry/Department/Office of Government of India (In case a pensioner/family pensioner is not aware of the above, it may be sent to Srk. Accounts Officer, Special Cell, CPAO, Trikoot-II, R.K. Puram, New Delhi.) Subject:- Revision of pension papers (PPO) for pre-2006 Pensioners/Family Pensioners 1. Name of the Pensioner 2. Date of Birth 3. Date of Retirement Date of Death of the Pensioner (if application is by family pensioner) 5. Scale of pay at the time of retirement/death 6. PPO Number 7. Present Address (with Pin Code) Phone Number & E-mail ID of Pensioner/Family Pensioner 9. Name of the Bank & Branch

10. Postal Address of Branch (with Pin Code)

€.

11.	Account Number	:	•
	Details of office where the employee/pension ast served	er	
	Details of spouse who is co-authorised in PPC of relevant page of PPO as a proof of Date olease see Note below)	O or any other family pensioner (A copy of Birth must be enclosed. Otherwise,	
(D) L	lame of spouse/family pensioner Pate of Birth (proof to be enclosed) lame of documents enclosed as proof	: :	
14. pensi	Name and date of birth of other family me oner/spouse wants to provide to the HOO/HO	mala and a second	
Date			
	:	(Signature of Pensioner/family pensioner)	
follow	in case copy of PPO is not available or family pensioner is not given therein, a ing documents in support of date of birth of the omitted:	date of birth of the spouse or any attested photocopy of any one of the ne spouse/eligible family member may	*
a.	PAN Card		
b. c.	Matriculation Certificate (containing the info	rmation regarding Date of Birth).	
d. e.	CGHS Card		
f.	Driving License (if it contains Date of Birth) Voter's ID Card/Aadhar Number may also		
	Voter's ID Card/Aadhar Number may also is subject to condition that the pensioner/family a matriculate and he/she does not have an (a) to (e) above.		F/•